



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61981

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2742/2026

कदीर खानआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुदर्शन सिंह, विवेक सहगल

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 40/2026, धारा 109, 324(4), 121(1), 131, 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 4/21 खान और खनिज अधिनियम, थाना बहेड़ी, जिला बरेली में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित घटना में 39 अज्ञात और 5 नामित व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि, घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। यह आगे तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कई ट्रक अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त थे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपने मोटर वाहनों को पुलिस अधिकारियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। आगे यह तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त शानू और शाने आलम को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 2550/2026 और 2559/2026 में आदेश दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।
6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
7. मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।
8. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक कदीर खान की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो और कोई अनुचित स्थगन नहीं मांगेगा;

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

एस.वाई.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"